

अनुमति की शर्तें -
 1. नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कार्य के विषय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना।
 2. नगर निगम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित कार्य के लिए आवश्यक नगर निगम की सेवाओं का उपयोग करना।
 3. नगर निगम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित कार्य के लिए आवश्यक नगर निगम की सेवाओं का उपयोग करना।
 4. नगर निगम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित कार्य के लिए आवश्यक नगर निगम की सेवाओं का उपयोग करना।

रफाल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 492 दिनांक 03/02/2020
 धरती डा. चन्द शेखर आमेरी सी.डी.डी. वाडलाल जी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ
 भवन निर्माण हेतु मानकित कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 20831/- जमा
 करिये रसीद संख्या 2002/715, 716
 दिनांक 03/02/2020 को जमा करा दी है।

जी + 1
 आवासीय

03/02/2020
 सहायक नगर निवाजक
 नगर निगम, जोधपुर

94141-34127

